

मि. सं. 29-01/2022-स्थापना/आर.टी.आई.

भारत सरकार  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग  
विस्तार निदेशालय

कृषि विस्तार भवन,  
आई.ए.एस.आर.आई. कैम्पस, पूसा,  
नई दिल्ली-110012  
दिनांक 24 अप्रैल, 2023

सेवा में,

Sh. Satyajeet Morale  
Flat No. 605, B-Wing, Pramila Heights  
Raghoba Shankar Road, Hambhli Naka  
Thane West, Maharashtra -400601  
E-mail : satyajeetmorale27@gmail.com.

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना की आपूर्ति-विस्तार निदेशालय से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए श्री0 Satyajeet Morale, Maharashtra, से प्राप्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सूचना देने से संबंधित (पंजीकरण संख्या DOEXT/R/T/23/ 00026 दिनांक 24.03.2023)

महोदय,

कृपया अपने आर.टी.आई अनुरोध उक्त पंजीकरण संख्याओं का अवलोकन करें जिसमें आर.टी.आई अधिनियम 2005 के तहत उपरोक्त विषय पर विस्तार निदेशालय से संबंधित सूचना निम्नवत् है :-

| S.N. | पूछा गया प्रश्न / Question   | उत्तर /Answer  |
|------|--|--|
| 1.   | Please provide the list of Schemes (both Central Sector and Centrally sponsored) of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare that are currently in operation. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kisan Call Centres (KCC)</li> <li>2. Agri-Clinic &amp; Agri-Business Centres (AC&amp;ABC)</li> <li>3. Extension Education Institutes (EELs)</li> <li>4. Diploma in Agriculture Extension Services for input Dealers (DAESI).</li> <li>5. Skill Training for Rural Youth (STRY)</li> <li>6. Fairs &amp; Exhibition</li> <li>7. Mass Media Support to Agricultural Extension</li> <li>8. Support to State Extension Programs for Extension Reforms (ATMA) (a Centrally sponsored Scheme).</li> </ol> |
| 2.   | Please provide the list of schemes (both Central Sector and Centrally Sponsored) of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare that have been discontinued.     | N/A  |
| 3.   | Please provide the list of new schemes launched, if any, in place of the discontinued schemes as mentioned in question 2   | No new scheme launched in Directorate of Extension.  |

आपको सूचित करना है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर के खिलाफ प्रथम अपील, यदि कोई हो, करने के लिये यह उत्तर प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीली प्राधिकारी को अपील किया जा सकता है। प्रथम अपीली प्राधिकारी का विवरण निम्नवत् है :-

डा. शैलेश कुमार मिश्र, निदेशक (विस्तार),  
विस्तार निदेशालय,  
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग,  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,  
कमरा संख्या 204, कृषि विस्तार सदन,  
पूसा, नई दिल्ली-110 012,  
दूरभाष:- 011-25849881 व ई-मेल पता:-shailesh.mishra29@gov.in

भवदीया  
दीपा पांडे  
(दीपा पांडे)

उप निदेशक (प्रशासन एवं सी.पी.आइ.ओ.)

दूरभाष:- 011.25846467

ई-मेल:- [deepa.pande65@gov.in](mailto:deepa.pande65@gov.in)

**प्रतिलिपि:-**

1. अवर सचिव (विस्तार व सी.पी.आई.ओ.), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. अनुभाग अधिकारी ( आर.टी.आई ), आर.टी.आई सैल, कृषि भवन, नई दिल्ली
3. श्री जगदीश प्रसाद यादव, संयुक्त निदेशक/आई.टी. इंचार्ज, कृषि विस्तार भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त जबाव को विस्तार निदेशालय की वेबसाईट [www.krishivistar.gov.in](http://www.krishivistar.gov.in). पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।